कम्प्यूटर सं0- 9122054

पत्र सं0/ जी0एस0टी0 ऑडिट/2021–22/ F.No.51 437 /वाणिज्य कर।
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 ऑडिट)
लखनऊ:: दिनांक:: 22 मार्च, 2022

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, (कार्यपालक)
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर /
वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संबन्ध में।

रिट टैक्स सं0 348/2021 M/s Apparent Marketing Private Limited. V/s State of U.P. and others के मामले में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वादी का पंजीयन, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध निरस्त किये जाने के मामले में अत्यन्त कठोर निर्णय पारित किया गया है।

उक्त मामले में यह निर्देश दिया जाता है कि पंजीयन निरस्तीकरण के मामले में प्रॉपर अधिकारी द्वारा व्यापारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए जी0एस0टी0 अधिनियम में दिये गये प्राविधानों तथा नियमावली के अन्तर्गत तथा समय–समय पर पंजीयन के संबन्ध में जारी निर्देशों को ध्यान में रखकर पंजीयन दिये जाने या रद्द किये जाने की कार्यवाही की जाये। जिससे पंजीयन प्राप्त करने में किसी व्यापारी का उत्पीड़न न हो तथा मा0 न्यायालय के समक्ष विभाग को असहज स्थिति का सामना न करना पड़े।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है। इसमें दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

22.3.2022

(गीता सिंह)
एडीशनल कमिश्नर (विधि/जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।